



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112022-240205
CG-DL-E-11112022-240205

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 571]
No. 571]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 11, 2022/कार्तिक 20, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 11, 2022/KARTIKA 20, 1944

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2022
(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/194/13-डीडी/225/13/डीसी/587/2017.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. गणपति शिवप्रकाश (सदस्यता संख्या 024556), नंबर 5 (पुराना नंबर 2), 5वां क्रॉस स्ट्रीट, वेस्ट शेनॉय नगर, चेन्नई- 600 030 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 की मद (6), (7) और (8) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. गणपति शिवप्रकाश (सदस्यता संख्या 024556) के नाम को 02 (दो) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है। अतः अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के अधीन यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. गणपति शिवप्रकाश (सदस्यता संख्या 024556) का नाम, 30 सितंबर, 2022 से 02 (दो) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया गया था। समिति के इस आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1949 के विनियम 22(छ) के निबंधनानुसार उसके विरुद्ध एक अपील फाइल की और अपीलीय प्राधिकरण ने 11 अक्टूबर, 2022 को सुनाए गए अपने आदेश के द्वारा नाम हटाए जाने की अवधि को संशोधित करके 02(दो) वर्ष से 01(एक) वर्ष कर दिया था। तदनुसार, अपीलीय प्राधिकरण

के उक्त आदेश के अनुसरण में तारीख 30 सितंबर, 2022 की उस अधिसूचना, जिसके द्वारा सीए. गणपति शिवप्रकाश (सदस्यता संख्या 024556) का नाम 02 (दो) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया गया था, को उस सीमा तक उपांतरित किया जाता है कि उक्त सीए. गणपति शिवप्रकाश (सदस्यता संख्या 024556) का नाम तारीख 30 सितंबर, 2022 से 02 (दो) वर्ष के स्थान पर 01(एक) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया गया है।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./394/2022-23]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2022

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/194/13-DD/225/13/DC/587/2017.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Ganapathy Sivaprakash (Membership No. 024556), No. 5 (Old No. 2), 5th Cross Street, West Shenoy Nagar, CHENNAI- 600 030**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clauses (6), (7) and (8) of Part I of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of name of **CA. Ganapathy Sivaprakash (Membership No. 024556)** from the Register of Members for a period of 02(Two) years. In pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1988, the name of **CA. Ganapathy Sivaprakash (Membership No. 024556)** was removed from the Register of Members for a period of 02(Two) years with effect from 30th September, 2022. Aggrieved by Order of the Committee, the Respondent preferred an Appeal in terms of Section 22G of the Chartered Accountants Act, 1949 and the Appellate Authority vide its order pronounced on 11th October, 2022 had modified the period of removal of name from 02(two) years to 01(one) year. Accordingly, in pursuance of the said order of the Appellate Authority, the notification dated 30th September, 2022 wherein the name of **CA. Ganapathy Sivaprakash (Membership No. 024556)** was removed from the Register of Members for a period of 2(two) years is hereby modified to the extent that the name of **CA. Ganapathy Sivaprakash (Membership No. 024556)** stands removed for a period of 01(one) year instead of 02(two) years w.e.f. 30th September, 2022.

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./394/2022-23]